कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0 झांसी

पत्रांकः–3347/33-1 दिनांक, झांसी, मार्च, 23, 2016

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषय :– Proposal No FP/UP/TRANS/22022/2016-765 KV जनपद झांसी के अन्तर्गत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 765 के0वी0 द्विपक्षीय लिलो **सतना–ग्वालियर** विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण में झांसी वन प्रभाग में 0.1742 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 08 वृक्षों के पातन उरई वन प्रभाग में 0.1144 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 14 वृक्षों के पातन सहित प्रभावित हो रहे, का प्रस्ताव गैर वांनिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– (1).प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी का पत्रांक–2752/15–1, दिनांक 21.03.2017 ।
(2).प्रभागीय वनाधिकारी, उरई का पत्रांक–2353/33–1, दिनांक 18.03.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, 765 के0वी0 द्विपक्षीय लिलो सतना–ग्वानियर विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण में झांसी वन प्रभाग में पूंछ–गुरसरांय मार्ग, कि0मी0 संख्या 08 से 09 के मध्य की 0.1742 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वांनिकी प्रयोग एवं 08 वृक्षों के पातन की अनुमति तथा उरई वन प्रभाग में में एट–कोटरा मार्ग के कि0मी0 संख्या 01 से 02 के मध्य 0.1144 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 14 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में झांसी, एवं उरई द्वारा अलग–अलग चार–चार प्रतियों में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनुमति हेतु प्रस्ताव संस्तुति सहित ऑन लाईन डाटा फीडिंग करके Acknowledgement Slip संलग्न कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

वृत्त स्तर से उरई,एवं झांसी वन प्रभागों से प्राप्त प्रस्तावों में संलग्न भाग–3 प्रपत्र पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा टिप्पणी अंकित कर दी गयी हैं तथा दोनों प्रभागों के प्रस्तावों की ऑन लाईन फीडिंग इस कार्यालय द्वारा करा दी गयी है, जिसकी प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नक– 1. उरई वन प्रभाग का प्रस्ताव तीन प्रतियों में।
2. झांसी वन प्रभाग का प्रस्ताव तीन प्रतियों में सी0डी0 सहित।

भवदीय

23/3/2017

(अशोक कुमार)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0 झांसी

पृष्ठांकन संख्या /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, उ0प्र0 झांसी।
2. जिलाधिकारी, झांसी एवं जालौन स्थान उरइं।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी एवं उरई।
4. मुख्य प्रबन्धक, पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, झांसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप इस कार्यालय से उपरोक्त प्रभागों से मूल प्रस्ताव तीन प्रतियों में प्राप्त कर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, 17 राणा प्रताप मार्ग, वन विभाग मुख्यालय, लखनऊ में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(अशोक कुमार)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0 झांसी

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 2752 /15–1 दिनांक, झांसी, मार्च, 21 2017

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सा0वा0 बुन्देलखण्ड वृत्त,
उ0प्र0 झांसी।

विषय :– जनपद झांसी के अन्तर्गत पावर ग्रिड कारर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 **765 के0वी0 द्विपक्षीय लिलो सतना–ग्वालियर विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण से 0.1742 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 8 वृक्षों के पातन सहित प्रभावित** हो रहे हैं, का प्रस्ताव गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुख्य प्रबन्धक (टी0एल0 निर्गाण) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 झांसी के द्वारा उपरोक्त विषयक प्रस्ताव पारेषण विद्युत लाइन के निर्माण से प्रभावित पूंछ–गुरसरांय मार्ग की 0.1742 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 8 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु ऑन लाईन प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त प्रस्ताव का भलीभांति परीक्षण कर समस्त वांछित अभिलेखों को संलग्न कर प्रस्ताव ऑन लाईन एवं हार्ड कापी चार प्रतियों में संस्तुति सहित आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार चार प्रतियां।

भवदीय

(डॉ0 मनोज कुमार शुक्ला)
प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांकन संख्या /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि मुख्य प्रबन्धक (टी0एल0 निमार्ग) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ0 मनोज कुमार शुक्ला)
प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

कार्यालय उप वन संरक्षक, जालौन सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उरई।

पत्रांक – 2353 / 33-1 / उरई, दिनांक मार्च 18 2017।

वन्दो०
वनाधिकारी
अमीन
20/3/17

सेवा में,

वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त उ0प्र0 झांसी।

विषयः– **लीलो ऑफ 765 के0वी0 सतना–ग्वालियर ट्रांसमिशन लाइन (एट–कोटरा रोड के कि0मी0 1 से कि0मी0 2) के निर्माण में प्रस्तावित संरक्षित वनभूमि 0.1144 हे0 एवं मार्ग पटरियों पर खडे प्रभावित 14 वृक्षों की वन (संरक्षण) अधि0 1980 के अन्तर्गत अनुमति / स्वीकृति के संबन्ध में।**

संदर्भ :– Proposal No. FP/UP/TRANS/22022/2016 Date 25.10.2016।

महोदय,

उक्त विषयक एवं संदर्भित प्रस्ताव को प्रभाग द्वारा आनलाइन कर समस्त आवश्यक अभिलेखों के साथ आनलाइन इकनोलेजमेंन्ट स्लिप सहित चार प्रतियों में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्यवाही कर अग्रसारित करने का कष्ट करें। प्रस्ताव का भलीप्रकार परीक्षण कर लिया गया है तथा समस्त वाछित अभिलेख संलग्न कर दिये गये है। प्रस्ताव संस्तुति सहित प्रेषित।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(बी0आर0 अहिरवार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
जालौन सा0वा0, वन प्रभाग उरई।

पृ0सं0– / समदिनांक।

प्रतिलिपि– मुख्य प्रवंधक पावर ग्रिड झांसी को इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव की चारों प्रतियां लेकर सम्बन्धित को वन संरक्षक बुन्देलखण्ड वृत्त झांसी के कार्यालय से सम्पर्क कर अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

(बी0आर0 अहिरवार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
जालौन सा0वा0, वन प्रभाग उरई।

orest\Survey Ameen\serve Amin Latter.doc

भाग-3
(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14.	स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्ष ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं /
15.	क्या संबंधित वन संरक्ष भग-ख में दी गई सुचना और उप वन संरक्षक के सुझाओं से सहमत हैं।	सहमत /
16.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणें के साथ सिफारिशें।	उप वन संरक्षक उरई (जालौन) की संस्तुति के आधार पर प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है/

तिथि: 23.3.2017
स्थान: ~~उरई~~ झाँसी

24/3/2017
अशोक कुमार
हस्ताक्षर
(नाम साफ अक्षरों में पदनाम)
(सरकारी मुहर)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशव
बुन्देलखण्ड वृत्त उ0प्र0, झाँर

भाग–3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना हैं)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी हैं, क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया हैं (हां/नहीं) यदि हो तो निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। – नहीं

15. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझाव में सहमत हैं। – सहमत है

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारसें। – प्रभागीय वनाधिकारी झांसी की संस्तुति के आधार पर प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

तिथि– 23.3.2017

स्थान– झाँसी

हस्ताक्षर [signature] 23.3.2017

नाम व पदनाम (अशोक कुमार)

सरकारी मुहर **वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक बुन्देलखण्ड वृत्त उ0प्र0, झाँसी**